"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 जनवरी 2008—माघ 1, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2008

क्रमांक 709/डी. 10/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-01-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2007

विषय-सूची

धारा :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.
4. किसी गैर वित्तीय सहायता प्राप्त सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रक्रिया.
5. शोध्य राशि की वसूली.
6. कब्जा का प्रत्यावर्तन
7. सूचना की तामिली.
8. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे.
9. सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए परिमाण.
10. सिविल न्यायालयों की शक्तियां.
11. नियम बनाने की शक्ति.
12. निरसन.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2007

गैर वित्तीय सहायता प्राप्त सहकारी सोसाइटियों को किए गए नुकसान की प्रतिपूर्ति तथा उससे आनुषंगिक विषयों हेतु उपबंध किए जाने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2007 है. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(2) यह भूतलक्षी प्रभाव 1 नवम्बर 2000 से प्रवृत्त होगा.

(3) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— **परिभाषाएं.**

(क) "वित्तीय सहायता" से अभिप्रेत तथा इसमें सम्मिलित है, उधार, वित्तीय सहायता, पुनर्भुगतान की गारंटी, डिबेंचरों, अग्रिम किसी भी स्वरूप के अनुदान या किसी भी प्रकार की वित्तीय आलंब सहायता ;

(ख) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ;

(ग) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ;

(घ) "गैर वित्तीय सहायता प्राप्त सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, ऐसी सहकारी सोसाइटी जिन्हें राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है.

(2) लोकतांत्रिक साधन के रूप में और स्वयंसेवी तथा पारस्परिक सहायता आधारित लोक संस्थाओं के रूप में स्वेच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित करने और उनका विकास करने और जनता के, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इस अधिनियम में प्रत्युक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए तत्समय प्रवृत्त अधिनियम में दिए गए हैं.

3. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अतिरिक्त होंगे तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं. **अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.**

4. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी गैर वित्तीय सहायता प्राप्त सोसाइटी की संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण, पर्यवेक्षण या परिसमापन के दौरान, या अन्यथा यह पाया जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसी सोसाइटी के संगठन या प्रबंध का कार्य सौंपा गया है, या सौंपा गया था या समिति के किसी मृत, भूतपूर्व या वर्तमान सभापति, सचिव, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी/कर्मचारी ने इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन बनाये गये नियमों के या किसी सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भुगतान किया है या उस सोसायटी की निधि के दुर्विनियोग से संपत्ति अर्जित किया है, जिसका उद्देश्य ऐसी सोसायटी को लोकतांत्रिक साधन के रूप में संगठित कर उनका विकास करने और जनता के विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और **किसी गैर वित्तीय सहायता प्राप्त सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रक्रिया.**

उनके सामाजिक, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए था उस उद्देश्य की घोर उपेक्षा या अवचार द्वारा कोई कमी घटित की हो या कोई हानि पहुंचाई है या ऐसी सोसायटी के किसी धन या अन्य संपत्ति को दुर्विनियोग किया है या उस धन के या अन्य संपत्ति को छल कपटपूर्वक रख छोड़ा है, या स्व नाम से अथवा किसी बेनामी संपत्ति अर्जित किया है तो रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या संचालक मण्डल के सदस्यों या समापक या किसी लेनदार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर व ऐसे व्यक्ति से या, किसी मृत व्यक्ति की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि से, जो कि उसकी सम्पदा विरासत में प्राप्त करे, यह अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकेगा कि वह ऐसी दर से संगणित किये गये ब्याज सहित उस धन या संपत्ति या उसके किसी भाग का प्रतिसंदाय या प्रत्यावर्तन करे या अभिदाय खर्चों का प्रतिकर या भुगतान ऐसी सीमा तक करे, जैसा कि रजिस्ट्रार न्याय संगत तथा साम्यापूर्ण समझे ;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तक तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता :

परन्तु यह और भी कि मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस संपत्ति, जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई हो, की सीमा तक ही होगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा.

शोध्य राशि की वसूली.

5. धारा 4 की उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई पारित आदेश पर यदि तीस दिवस के भीतर ऐसे शोध्य राशि को जमा नहीं कर दिया जाता तो निम्नलिखित रीतियों से वसूली की जावेगी :—

(क) रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के दे दिये जाने पर, सिविल न्यायालय की डिक्री समझी जाएगी और उस रीति से निष्पादित किया जाएगा, जिस रीति से कि ऐसे न्यायालय की डिक्री निष्पादित की जाती है, या

(ख) जो कि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार निष्पादित किया जाएगा, या

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा या इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा सशक्त किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति या सोसाइटी की जिसके विरुद्ध आदेश, विनिश्चिय या पंचाट अभिप्राप्त किया गया हो या पारित किया गया हो, किसी संपत्ति को ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाय कुर्क करके तथा अन्तरित करके या बेचकर या कुर्क किये बिना बेचकर निष्पादित किया जाएगा,

परंतु खण्ड (ख) के अधीन वसूली के लिए यदि कलेक्टर को आवेदन किया जाएगा तो उसके साथ रजिस्ट्रार या इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न होगा.

कब्जा का प्रत्यावर्तन.

6. रजिस्ट्रार द्वारा जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्थावर संपत्ति का कब्जा देने का आदेश इस अधिनियम के अधीन पारित कर दिया गया हो, तो ऐसा आदेश निम्नलिखित रीति में निष्पादित किया जाएगा, अर्थात् —

(क) कब्जा रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर सूचना की तामीली करके उससे/उनसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह/वे उक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात् ऐसे समय के भीतर जैसा कि नियत किया जाए, उसे रिक्त कर दें, और

(ख) यदि ऐसी सूचना का पालन न किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को, जो रिक्त करने से इंकार करे, उसे हटाकर या हटाने के लिए किसी अधीनस्थ को प्राधिकृत करके, और

(ग) खण्ड (ख) के अधीन प्राधिकृत किए अधिकारी का यदि कोई व्यक्ति प्रतिरोध करे या उसे बाधा

पहुंचाए तो मामले की संक्षिप्त जांच करके यदि इसका समाधान हो जाता है कि प्रतिरोध या बाधा बिना किसी औचित्य के किया गया है तथा, ऐसी प्रतिरोध या बाधा, लगातार जारी है तो ऐसे प्रतिरोध या बाधा संबंधी दण्ड से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दायी हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा, जो ऐसे अधिकारी की राय में, उस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो.

सूचना की तामिली.

7. (1) ऐसी प्रत्येक सूचना या आदेश को, जो इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी की गई या किया गया है, किसी व्यक्ति पर तामील, उसे रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाकपत्र द्वारा, जिसमें वह सूचना या आदेश अन्तर्विष्ट होगा, ऐसे व्यक्ति के निवास या कारोबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर उचित रूप से संबोधित करके की जा सकेगी.

(2) कोई अभिस्वीकृति जिसका कि ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, या किसी डाक कर्मचारी द्वारा किया गया इस आशय का पृष्ठांकन कि उस व्यक्ति ने परिदान लेने से इंकार कर दिया है, तामील की प्रथम दृष्टया साक्ष्य समझी जा सकेगी.

परंतु यदि सूचना की तामिली इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गये नियमों, या किसी रीति से नहीं की जा सकती हो तो, रजिस्ट्रार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को जिसे सूचना दी जानी है, उनके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर चस्पाकर या ऐसे स्थान में जो किसी लोक समागम है, पर चस्पा किया जाएगा, जिसे तामिली माना जाएगा.

रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे.

8. ऐसा प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति या कर्मचारी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जावेगा.

सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए परिमाण.

9. रजिस्ट्रार या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उसका अधीनस्थ हो या उनके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे हों, के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

सिविल न्यायालयों की शक्तियां.

10. (1) रजिस्ट्रार, उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इस अधिनियम या उसके अधीन, उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित विषयों में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधि. सं. 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को होती है, अर्थात् ;

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत, और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना.

(2) किसी शपथ पत्र की दशा में यथास्थिति रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, उसका नाम निर्देशित व्यक्ति या नाम निर्देशित व्यक्तियों का बोर्ड या समापक अधिकारी को शपथ दिला सकेगा.

11. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. **नियम बनाने की शक्ति.**

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम यथासंभव, शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

12. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 7 सन् 2007) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन.**

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2008

क्रमांक 709/डी. 10/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 1 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 1 of 2008)

CHHATTISGARH COOPERATIVE SOCIETIES (RECOVERY OF LOSSES) ACT, 2007

INDEX

Section :—

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Act not in derogation of any other law.
4. Procedure for making good, losses cause to un-aided Co-operative Society.
5. Recovery of money.
6. Restoration of Possession.
7. Service of Notice.
8. Registrar and other officers etc. to be public servants.
9. Indemnity for acts done in good faith.
10. Powers of civil courts.
11. Power to make Rules.
12. Repeal.

CHHATTISGARH ACT
(No. 1 of 2008)

CHHATTISGARH COOPERATIVE SOCIETIES (RECOVERY OF LOSSES) ACT, 2007

An Act to make provisions for the recovery of losses caused to un-aided cooperative societies and matters ancilliary thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the Fifty-Eighth year of the Republic of India.

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Recovery of Losses) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force retrospectively with effect from 1st November, 2000.

(3) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Aid" means and includes loans, financial aid, guaranttee of re-payment, debentures, advances, grant in any form or any kind of financial support ;

(b) "State" means the State of Chhattisgarh ;

(c) "State Government" means the State Government of Chhattisgarh ;

(d) "Un-aided Co-operative Society" means the co-operative society not receiving any aids from the Government.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act time being inforce with the object to organise and develop co-operatives as democratic instruments and people's institutions based on self help, and mutual aid, and for curbing exploitation and ensuring socio-economic development of people with particular emphasis on weaker sections of society.

Act not in derogation of any other law.

3. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being inforce.

Procedure for making good, losses cause to un-aided Co-operative Society.

4. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time in force, if in the course an audit, inspection or supervision or otherwise of un-aided cooperative society, it is found that any person, who is or was entrusted with organisation or management of such society or any deceased, past or present chairman, secretary, member of Board of Directors, officer or employee of the society has made any payment contrary to the provisions of the Acts or acquired property by misappropriating the fund of the society or rules or bye laws made thereunder for time being inforce with objects to organise object to organise and develop cooperatives as democratic instruments and people's institutions based on self help, and mutual aid, and for curbing exploitation and ensuring socio-economic development of people with particular emphasis on weaker sections of society or has caused any deficiency or loss by gross negligence or misconduct or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property or acquired any property in his own name or others name out of the misappropriated fund belonging to such society, the Registrar may on his own motion or on the application of the

Board of Directors, liquidator or any creditor make an order requiring such person or in the case of a deceased person, his legal representative who inherits his estate, to repay or restore the money or property or any part thereof, with interest at such rate or to pay contribution and costs or compensation to such extent as the Registrar may consider just and equitable :

Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard in the matters :

Provided further that the liability of a legal representative of the deceased, shall be to the extent of the property of the deceased which has come to the hands of such legal representative.

(2) Any person aggrieved by the order made under sub-section (1) may within thirty days from the date of communication of the order to him, appeal to the State Government.

5. Any order passed under sub-section (1) or (2) of section 4 for recovery of money if such money is not deposited within 30 days from the date of order shall be recovered in the following manner :— **Recovery of money.**

(a) on a certificate signed by the Registrar or any person authorised by him in this behalf be deemed to be decree of a Civil Court and shall be executed in the same manner as a decree of such Court; or

(b) be executed according to the law for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue ; or

(c) be executed by the Registrar or any other person empowered by the Registrar in this behalf, by the attachment and transfer in the manner as may be prescribed or sale or sale without attachment of any property of the person or a society against whom the order, decision or award has been obtained or passed :

Provided that any application for the recovery under clause (b) shall be made to the Collector and shall be accompanied by a certificate signed by the Registrar or by any person authorised in this behalf.

6. An order of delivery of possession of immovable property against any person passed under this Act shall be executed by the Registrar in the following manner, namely ;— **Restoration of Possession.**

(a) by serving a notice on the person or persons in possession requiring him/them within such time as may appear reasonable after the receipt of the said notice, to vacate the same; and

(b) if such notice is not obeyed, by removing or deputing a subordinate to remove any person who may refuse to vacate the same; and

(c) if the officer removing any such person is resisted or obstructed by any person, appoint any officer, who shall hold a summary inquiry into the facts of the case, and if satisfied that the resistance or obstruction was without any just cause, and that such resistance or obstruction still continues may, without prejudice to any proceeding to which such person may be liable under any law for the time being in force for the punishment of such resistance or obstruction, take or cause, to be taken such steps and use or cause to be used, such force as may, in the opinion of such officer, be reasonably necessary for securing compliance with the order.

Service of Notice.

7. (1) Every notice or order issued or made under this Act or the rules may be served in person or on by properly addressing it to the last known place of residence or business of such person by registered post with acknowledgment due letter containing the notice or order.

(2) An acknowledgment purporting to be signed by such person or an endorsement by a postal employee that the person refused to take delivery may be deemed to be prima facie proof of service :

Provided that if service of the notice cannot be effected by any manner provided under this Act, or rules made thereunder, a copy thereof shall be affixed at the notice board of the Registrar or Officer whom power has been delegated and last known place of residence of the person noticed or at some place of public resort in such place.

Registrar and other officers etc. to be public servants.

8. Every officer or person as well as employee exercising or authorised to exercise the powers under this Act or the Rules made thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (XIV of 1860).

Indemnity for acts done in good faith.

9. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Registrar or any person subordinate to him or acting under his authority, in respect of anything done or purporting to have been done by him in good faith under this Act.

Powers of civil courts.

10. (1) In exercising the powers conferred on him by or under this Act, the Registrar or other persons empowered by the Registrar shall have all the powers of a civil court while trying a suit, under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and production of any document ;

(c) proof of facts by affidavits; and

(d) issuing commissions for examination of witnesses.

(2) In the case of any affidavit, any officer appointed by the Registrar, his nominee or board of nominees or the liquidator, as the case may be, may administer oath to the deponent.

Power to make Rules.

11. (1) State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All Rules made under this Act shall be laid before Legislative Assembly as soon as possible.

Repeal.

12. Chhattisgarh Co-operative Societies (Recovery of Losses) Ordinance, 2007 (No. 7 of 2007) is hereby repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.